

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

॥ विधायी एवं अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी ॥
शुक्रवार, 29 अप्रैल, 1994 / वैशाख 9, 1916 ॥शक॥

संख्या. 87

सदस्यों की नज़रबन्दी एवं रिहाई

उपायुक्त पुलिस, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित दिनांक: 28 अप्रैल, 1994 का निम्नलिखित पत्र 29 अप्रैल, 1994 को प्राप्त हुआ ।

सर्वश्री सत्य प्रकाश राणा तथा कीर्ति आज़ाद, सदस्य दिल्ली विधान सभा अपने अन्य समर्थकों के साथ आज अर्थात् 28-4-94 को सायं 6. 20 बजे होटल ताज पैलेस, चाणक्यपुरी के सामने पुलिस के विधिसम्मत निदेशों की अवज्ञा करने के लिये दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत नज़रबन्द किये गये । उन्हें उसी दिन अर्थात् 28-4-94 को सायं 6. 50 बजे उसी स्थान से रिहा किया गया ।

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI VIDHAN SABHA

BULLETIN PART II

(General information relating to Legislative & other matters)
Friday, April 29, 1994/Vaisakha 9, 1916 (Saka)

No.87

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following communication dated the 28th April, 1994 addressed to the Speaker, Delhi Vidhan Sabha, from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi, was received on 29th April, 1994 :-

"S/Shri Satya Prakash Rana and Kirti Azad, Members Legislative Assembly, Delhi alongwith their other supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from in front of Hotel Taj Palace, Chanakya Puri, New Delhi, at 6.20 p.m. to-day i.e. 28.4.94. They were released at 6.50 P.M. from the same place and the same day i.e. 28.4.94."

P.N. GUPTA
SECRETARY